न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूंणी

पीठासीन अधिकारी :–श्री गोपाल परिहार RAS

प्रकरण संख्या 114/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.चिमनसिह उर्फ चिमनाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम जी के कायम मुकाम 1/1.श्रीमती ज्ञानकंवर पत्नि स्व0 चिमनसिह 1/2.ओमप्रकाश पुत्र स्व चिमनसिह 1/3.मनोहरसिह पुत्र स्व चिमनसिह 1/4.संतोकसिह पुत्र स्व चिमनसिह जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर 1/5.मंजूलता पत्नि प्रेमसुख पुत्री स्व0 चिमनसिह जाति माली निवासी ग्राम मथानिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर। 1/6.गीता पत्नि अभिषेक गहलोत पुत्री स्व0 चिमनसिह जाति माली निवासी सोजती गेट के अन्दर कविराजजी का बाडा जोधपुरं		01.भूराराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम जी के कायम मुकाम 1/1.रुगनाथसिह पुत्र स्व0 श्री भूराराम जी 1/2.चुन्नीलाल पुत्र स्व0 श्री भूराराम जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर 1/3.श्रीमती मुन्नी पत्नि हुक्मसिह पुत्री स्व0 श्री भूराराम जी जाति माली निवासी ग्राम चुतरावता मण्डोर जोधपुर। 1/4.श्रीमती सोनी देवी पत्नि स्व0 श्री भूराराम जी जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रावतराम जी 03.देवाराम 04.नृसिह 05.केवलराम पुत्रान स्व0 श्री भूराराममजी 06.छोगीदेवी 07.सुरतादेवी पुत्रियॉ स्व0 भूराराम जी 08.अणदाराम 09.केवलराम पुत्रान स्व0 रावतराम जी 10.रमेश पुत्र स्व0 श्री पोकररामजी 11.ताराचन्द्र पुत्र स्व0 श्री पोकरराम जी 12.अलची देवी पत्नि स्व0 श्री पोकरराम जी के कायम मुकाम 12/1.श्रीमती लीलादेवी पुत्री स्व0 श्री पोकरराम जी पत्नि श्री सत्यनारायण जी निवासी गाव तिवरी तहसील ओसिया जिला जोधपुर। 13.जैनाराम पुत्र स्व श्री दलाराम जी 14.गोदाराम पुत्र स्व श्री अचलाराम जी 15.ढल्लाराम पुत्र स्व श्री आसुराम जी 16.जस्साराम पुत्र स्व श्री आसुराम जी 17.सुन्दर पत्नि स्व0 श्री आसुराम जी 18.सुमेरराम पुत्र स्व0 श्री आसुराम जी 19.जगदीश पुत्र स्व0 श्री भंवराराम जी 20.पुखराज पुत्र स्व0 श्री भंवराराम जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 21.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर। 22.अमित एम शाह पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शाह जाति जैन निवासी ए 17 शाति नगर उंझा जिला मेहसाणा गुजरात 23.सुकेतु एस शाह पुत्र श्री शरण शाह जाति जैन निवासी ए 17 शाति नगर उंझा जिला मेहसाणा गुजरात।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

निर्णय **दिनांक 06.02.2023**

वादी ने उपरोक्त वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं जारी करने निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88, 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया है वादी ने अपने दावे में यह कथन किया है कि गांव सालावास तहसील लुणी में कृषि भूमि खसरा नं0 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा आयी हुई है जिसमें से 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या दो के संयुक्त कब्जा काश्त में हैं । उक्त भूमि में 1/4 भाग लालू पुत्र थानाराम जी का था जिन्होने अपनी बहन गवरीदेवी के नाम 1/4 कर दिया ताकी गवरीदेवी के तीनो पुत्रो को उक्त भूमि प्राप्त हो सके । उस समय गवरीदेवी के दो नाबालिग पुत्र एवं एक बालिग पुत्र थे तथा उनके पुत्रो में भूराराम सबसे बड़े व कर्ता खानदान थे इस कारण अकेले भूराराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई जबकी वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो का नाम भी साथ में दर्ज होना चाहिये था । वादी एवं प्रतिवादी के सामलाती अन्य कृषि भूमि खसरा नं0 48 व 559 आये हुए है । प्रतिवादी संख्या एक ने उपरोक्त भूमियों का बंटवाड़ा वादी के साथ किया एवं खसरा नं0 141 में से 20 बीघा 12 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या दो कें हिस्से में रखी एवं इस बाबत एक लिखत भी दिनांक 30.05.2002 को लिखा गया परन्तु वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही हो सका । वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक से इस बाबत कई बार कहा गया परन्तु वे सहमत नही हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो का खसरा नं0 141 की उक्त भूमि पर 30 वर्षो से कब्जा काश्त है एवं वे मुखालपाना कब्जा के आधार पर खातेदार हेा चुके है । अंत में वादी ने खसरा नं0 141 की 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि माफिक लिखत दिनांक 30.05.2002 के खातेदारी घोषित करने की मांग की ।

प्रतिवादी को वाद की सुनवाई का नोटिस भेजने पर प्रतिवादीगण की और से दावे का जबाब दावा पेश किया गया जिसमें यह जाहिर किया कि खसरा नं0 141 की भूमि में वादी का कोई अधिकार नही है तथा न उसका कब्जा है । उक्त भूमि कभी भी लालूजी अथवा गवरीदेवी के खातेदारी की नही रही बल्कि यह भूमि मूल रूप से राजकीय भूमि रही है तथा सम्वतः 2024 से 2026 तक राजकीय भूमि दर्ज है । उपरोक्त भूमि का दिनांक 20.06.1967 को सात व्यक्तियों के नाम नियमन किया गया जिसमें एक व्यक्ति प्रतिवादी भूराराम भी था एवं इसका नामान्तरकरण संख्या 180 स्वीकार किया गया जिसमें सभी सात व्यक्तियों का नाम दर्ज किया गया । इस प्रकार खसरा नं0 141 की सम्पूर्ण भूमि पर उपरोक्त सात व्यक्तियों का ही शुरू से कब्जा काश्त रहा है । प्रतिवादी संख्या एक का 1/7 हिस्सा है जो 11 बीघा 15 बिस्वा 05 बिस्वांसी बनता है व इस पर प्रतिवादी संख्या एक का ही कब्जा काश्त है । इस भूमि में वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । जहां तक खसरा नं0 48 व 559 की भूमि के सम्बन्ध में यह भूमि शुरू से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक ता दो के खातेदारी की रही है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या एक से दो प्रत्येक का इसमें 1/3 हिस्सा है । जब स्वयं प्रतिवादी संख्या एक का ही 20 बीघा हिस्सा खसरा नं0 141 में नही बनता तो वादी के पक्ष में कोई लिखत लिखे जाने का प्रश्न ही नही उठता है । वादी ने जिस पारिवारिक समझौते का उल्लेख किया है वैसा कोई समझौता नही लिखा गया एवं न लिखा जा सकता है एवं न ऐसे समझौते की कोई कानूनी एहमीयत है एवं न इससे कोई अधिकार प्राप्त होते है । वादी को कोई टेनेन्सी अधिकार अर्जित नही होते है इस कारण उसका वाद खारिज होने योग्य है ।

पक्षकारान की प्लीडिंग के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

01.आया ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा नं0 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो की पैतृक पुश्तैनी अविभाजित संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है जिस बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी को पूर्ण अधिकार है ।

(जिम्मे वादी)

02.आया ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा नं0 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के मध्य पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 30.05.2002 की लिखत होने के अनुसार वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है ।

(जिम्मे वादी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

03.आया ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा नं0 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त होने से बंटवाड़ा पाने का अधिकारी है ।

(जिम्मे वादी)

04.आया ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा नं0 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि का प्रतिवादी भूराराम सहित अन्य सह खातेदारो को नियमन होने से वादी खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी नही है ।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

05. आया ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा नं0 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि के प्रतिवादीगण होने एवं कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

06.अनुतोष

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहान के शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी की और से गवाहान के शपथ पत्र पेश किये गये ततः पश्चात पक्षकारान की साक्ष्य बंद की गई । दावे में गुणावगुण पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई बाद सुनने बहस पर विभिन्न तनकीयो पर निर्णय इस प्रकार है ।

वादीगण की और से उनके अधिवक्ता ने दावे में वर्णित तथ्यो को दोहराया है एवं प्रतिवादी की और से भी उनके अधिवक्ता ने जबाब दावा में वर्णित कथनो के आधार पर बहस की ।

वादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि खसरा नं0 141 की भूमि में लालू पुत्र थाना का 1/4 हिस्सा था जिसमें अपना 1/4 हिस्सा अपनी पुत्री गवरीदेवी को दे दिया एवं गवरीदेवी के तीनो पुत्रो को उस भूमि में अधिकार 1/4 भाग में प्राप्त हो गये इस कथन की ताईद में वादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही की गई जिससे यह प्रमाणित हो सके की खसरा नं0 141 की भूमि में लालू पुत्र थाना के कभी कोई अधिकार रहे हो अथवा गवरी को उक्त भूमि लालू द्वारा दी गई है पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि सम्वतः 2024 से 2026 तक राजकीय भूमि दर्ज रही है तथा इसके पश्चात जरिये आदेश दिनांक 20.06.1967 के उक्त भूमि का सात व्यक्तियों के नाम नियमन किया गया जिनमें एक व्यक्ति प्रतिवादी भूराराम पुत्र रावतराम था एवं उक्त नियमन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 180 सात व्यक्तियों के नाम स्वीकार किया गया अर्थात इन इन्द्राज के जरिये प्रथम इन्द्राज भूराराम के नाम 1/7 हिस्से का किया गया इस प्रकार यह नही माना जा सकता की लालू पुत्र थाना का इस भूमि में कोई अधिकार रहा हो अथवा उसने अपना हिस्सा अपनी पुत्री गवरी को दिया हो । वादी का यह कथन भी मानने योग्य नही है कि आपसी पारिवारिक बंटवाड़े में प्रतिवादी भूराराम ने खसरा नं0 141 की 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या दो को दी हो । प्रथम तो स्वयं प्रतिवादी भूराराम का जरिये-नियमन उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा था जो प्रभावित रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा 5 बिस्वांसी होता है इस कारण वादी को 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि बंटवाड़े में दिया जाना सम्भव नही लगता । द्वितीय में जो बंटवाड़े का लिखत होना बताया गया वह अपजीकृत है एवं ऐसे लिखत का कोई टेनेन्सी अधिकारो का हस्तान्तरण नही होता एवं न ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई खातेदारो की घोषणा की जा सकती है । इस प्रकार वाद बिन्दू संख्या एक को साबित करने में वादी असफल रहा है एवं इस वाद बिन्दू को वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है । जैसा कि वाद बिन्दू संख्या एक का निर्णय करते समय यह तय किया जा चुका है कि दिनांक 30.05.2002 के पारिवारिक समझौते से कोंई टेनेन्सी अधिकारो का हस्तान्तरण नही होता एवं न ऐसा दस्तावेज शहादत में पढा जा सकता है । इस आधार पर वाद बिन्दू संख्या दो वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है ।

जहां तक वादी का खसरा नं0 141 की 82 बीघा 09 बिस्वा भूमि में कब्जा काश्त होने एवं 1/4 भाग का विभाजन करने का प्रश्न है तो स्वयं वादी को जब खसरा नं0 141 क भूमि में कोई टेनेन्सी अधिकार प्राप्त ही नही

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

हुए तो विभाजन का अधिकार प्राप्त होना नही माना जा सकता। इस प्रकार वाद बिन्दू संख्या तीन वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है । वाद बिन्दू संख्या चार के संदर्भ में प्रतिवादी ने नामान्तरकरण संख्या 180 की प्रतिलिपि पत्रावली पर पेश की है उससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का नियमन दिनांक 20.06.1967 को प्रतिवादी संख्या एक सहित कुल सात व्यक्तियों को किया जाकर उसका नामान्तरकरण संख्या 180 उनके नाम से स्वीकृत किया गया एवं उसी अनुसार जमाबन्दी में अंकन किये तो उनका नाम राजस्व रेकर्ड में पहले से दर्ज है इस कारण इस वाद बिन्दू को निर्णित करने की आवश्यकता नही है । पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है एवं पक्षकारान के वाद कथन है उनसे यह स्पष्ट है कि खसरा नं0 141 की भूमि का नियमन कुल सात व्यक्तियों को किया गया एवं उन्ही का इस भूमि पर कब्जा काश्त है । इन परिस्थितियों में वादीगण को न तो खातेदारी अधिकार मिले है एवं न वे खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है एवं न उनका कब्जा काश्त प्रमाणित हुआ है । इन हालात में वादी कोई विभाजन अथवा निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का मुस्तहक नही माना जा सकता है एवं वाद बिन्दू संख्या पांच प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है

उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण एवं वाद बिन्दूओं के निर्णय के उपरान्त वादी का वर्तमान वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है । परिणामस्वरूप वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली-फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल।

06/02/23
(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

06/02/23
(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– प्रकरण संख्या 114/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.चिमनसिह उर्फ चिमनाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम जी के कायम मुकाम 1/1.श्रीमती ज्ञानकंवर पत्नि स्व0 चिमनसिह 1/2.ओमप्रकाश पुत्र स्व चिमनसिह 1/3.मनोहरसिह पुत्र स्व चिमनसिह 1/4.संतोकसिह पुत्र स्व चिमनसिह जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर 1/5.मंजूलता पत्नि प्रेमसुख पुत्री स्व0 चिमनसिह जाति माली निवासी ग्राम मथानिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर। 1/6.गीता पत्नि अभिषेक गहलोत पुत्री स्व0 चिमनसिह जाति माली निवासी सोजती गेट के अन्दर कविराजजी का बाडा जोधपुरं		01.भूराराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम जी के कायम मुकाम 1/1.रूगनाथसिह पुत्र स्व0 श्री भूराराम जी 1/2.चुन्नीलाल पुत्र स्व0 श्री भूराराम जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर 1/3.श्रीमती मुन्नी पत्नि हुक्मसिह पुत्री स्व0 श्री भूराराम जी जाति माली निवासी ग्राम चुतरावता मण्डोर जोधपुर। 1/4.श्रीमती सोनी देवी पत्नि स्व0 श्री भूराराम जी जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री रावतराम जी 03.देवाराम 04.नृसिह 05.केवलराम पुत्रान स्व0 श्री भूरारामजी 06.छोगीदेवी 07.सुरतादेवी पुत्रियॉं स्व0 भूराराम जी 08.अणदाराम 09.केवलराम पुत्रान स्व0 रावतराम जी 10.रमेश पुत्र स्व0 श्री पोकररामजी 11.ताराचन्द्र पुत्र स्व0 श्री पोकरराम जी 12.अलची देवी पत्नि स्व0 श्री पोकरराम जी के कायम मुकाम 12/1.श्रीमती लीलादेवी पुत्री स्व0 श्री पोकरराम जी पत्नि श्री सत्यनारायण जी निवासी गाव तिवरी तहसील ओसिया जिला जोधपुर। 13.जैनाराम पुत्र स्व श्री दलाराम जी 14.गोदाराम पुत्र स्व श्री अचलाराम जी 15.ढल्लाराम पुत्र स्व श्री आसुराम जी 16.जस्साराम पुत्र स्व श्री आसुराम जी 17.सुन्दर पत्नि स्व0 श्री आसुराम जी 18.सुमेरराम पुत्र स्व0 श्री आसुराम जी 19.जगदीश पुत्र स्व0 श्री भंवराराम जी 20.पुखराज पुत्र स्व0 श्री भंवराराम जी जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 21.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर। 22.अमित एम शाह पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शाह जाति जैन निवासी ए 17 शाति नगर उंझा जिला मेहसाणा गुजरात 23.सुकेतु एस शाह पुत्र श्री शरण शाह जाति जैन निवासी ए 17 शाति नगर उंझा जिला मेहसाणा गुजरात।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मुकद्धमा नं0114/2009यह आज मुकद्धमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि:–

अतः पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेंज से स्पष्ट है कि उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण एवं वाद बिन्दूओं के निर्णय के उपरान्त वादी का वर्तमान वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता है।अतः–वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

नीज.............................मुबलिक..बाबत्................................... खर्चा इस मुकद्धमें के मय सूद व वगैरह............ .... फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक .... को अदा करें ।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहम अदालत आज दिनांक 06.02.2023 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner